

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 6985/2026

Ramkesh S/o Bhim Singh, Aged About 33 Years, R/o Adda, Police Station Bayana, District Bharatpur (Raj.). (Presently Confined In Sub Jail, Hindaun)

-----Accused-Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP
For Complainant(s)	:	Mr. Manvendra Singh Choudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

06/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 307, 302 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12878/2025 इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 17048/2025 इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2026 के माध्यम से प्रत्याहरित किए जाने के आधार पर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान प्रकरण में सहअभियुक्त नीरज कुमार, मुकेश, वीरसिंह, दीपक, संतोष एवं अनिल कुमार को अंतर्गत धारा 279, 336, 307, 302 व 120बी भा.दं.सं. में आरोपी होना बताया था। उस अनुसंधान में

प्रार्थी/अभियुक्त रामकेश को अभियुक्त नहीं बनाया गया था, तत्पश्चात् पुलिस ने अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त रामकेश व सहअभियुक्त श्री संतोष सिंह के विरुद्ध धारा 143, 323, 307, 302 व 120बी भा.दं.सं. में तितम्बा चालान पेश किए। प्रकरण में सहअभियुक्त संतोष सिंह, जिसके विरुद्ध प्रार्थी/अभियुक्त के समान अपराध होना पाया गया है उसकी जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र संख्या 5479/26 दिनांक 22.04.2026 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त अनिल कुमार एवं दीपक कुमार की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2019 व दिनांक 04.07.2022 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। पीडब्ल्यू-2 अरविन्द सिंह ने दिनांक 22.01.2020 को अपने बयान दिए जिसमें यह बताया गया है कि जिस मोटरसाईकिल से लोकेश और नीतू जा रहे थे उनके पीछे से नीरज ने स्कार्पियो से जानबूझकर टक्कर मारी। दिनांक 22.01.2020 के बयान में अरविंद सिंह ने यह कहा है कि स्कोपियो से नीरज व उसके साथ वीर सिंह गुर्जर निकले थे। पीडब्ल्यू-5 लोकेश गुर्जर जो नीतू के साथ था, उसने भी अपने दिनांक 22.09.2021 के बयान में यह कहा है कि स्कार्पियो में नीरज व वीर सिंह गये थे उन्होंने तुरन्त मोटरसाईकिल में आग लगा दी। प्रकरण में सहअभियुक्त मुकेश गुर्जर जो घटना के समय वहां उपस्थित था, उसने भी प्रार्थी/अभियुक्त की घटना में संलिप्ता नहीं होना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण किया जाना शेष है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अभिभाषक का संयुक्त रूप से कथन है कि दिनांक 16.10.2025 को गुणावगुण पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। उसके पश्चात् दिनांक 13.04.2026 को अरविन्द के बयान लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् यह जमानत प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। उसके पश्चात् भी

अरविन्द के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतका नीतू की हत्या कारित करने के आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

मैंने पत्रावली का गहनतापूर्वक व सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पीडब्ल्यू-5 लोकेश जो कि मृतका नीतू का भाई है मृतका के साथ मोटरसाईकिल पर जा रहा था। उसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में स्कोर्पियो को नीरज द्वारा चलाये जाना तथा उसके साईड में वीर सिंह का बैठा होना बताया है। इसी तथ्यों को पीडब्ल्यू-2 अरविन्द सिंह ने दिनांक 22.01.2022 को लेखबद्ध किए गए अपने बयान में बताया है और यह भी बताया है कि स्कोर्पियो से नीरज व उसके साथ वीर सिंह गुर्जर उतरे थे। उन दोनों साक्षीगण ने प्रार्थी/अभियुक्त रामकेश का सक्रिय रूप से आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया जाना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के समान आरोपित कृत्य करने पर अन्य सहअभियुक्त संतोष की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 5479/26 दिनांक 24.04.2026 में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामकेश पुत्र भीमसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य

प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Nikita/3